डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–672/2008

उनवान

1. (मृतक दौरान दावा) गुलाब देवी बेवा शिवसहायपुरी
2. श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री शिवसहायपुरी पत्नी धौलपुरी
3. श्रीमती रामेश्वरी देवी पुत्री शिवसहायपुरी पत्नी प्रेमपुरी

निवासीयान ग्राम जिगरिया, तहसील तत्कालीन आमेर हाल चौमू जिला जयपुर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. मेहशपुरी
2. भगवानपुरी

पुत्रान शिवसहायपुरी, निवासीयान ग्राम तिगरिया, तहसील तत्कालीन आमेर हाल चौमू, जिला जयपुर राज.।

3. (मृतक दौराने दाव) कन्हैयालाल पुत्र त्रिलोक जाति ब्राहम्ण खण्डेलवाल निवासी ग्राम परमानपुरा तहसील विराटनगर (बैराठ) जिला जयपुर।

3/1. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल
3/2. गुलजारी पुत्र कन्हैयालाल
3/3. शांति पत्नी रामशरण जी पुत्री कन्हैयालाल
3/4. सीता पत्नी रामजीलाल पुत्री कन्हैयालाल

समस्त जाति ब्राहम्ण खण्डेलवाल निवासी ग्राम परमानपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार तथा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

मुताबिक राजीनामा दिनांक 23.10.2019 के अनुसार वादीयागण का वाद इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के वादीयागण संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक का बहिस्सा रकबा 0.4750 हैक्टेयर के तथा प्रतिवादी संख्या 1 का बहिस्सा 0.4750 हैक्टेयर में से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3781 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.37 हैक्टेयर के प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायात 3/4 पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.09.1979 की पूर्ण संतुष्टी में खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 1 महेशपुरी का शेष हिस्सा रकबा 0.1050

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। डिक्री जारी हो।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 30.10.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–672/2008

उनवान

1. (मृतक दौरान दावा) गुलाब देवी वेवा शिवसहायपुरी
2. श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री शिवसहायपुरी पत्नी धौलपुरी
3. श्रीमती रामेश्वरी देवी पुत्री शिवसहायपुरी पत्नी प्रेमपुरी

निवासीयान ग्राम तिगरिया, तहसील तत्कालीन आमेर हाल चौमू जिला जयपुर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. मेहशपुरी
2. भगवानपुरी

पुत्रान शिवसहायपुरी, निवासीयान ग्राम तिगरिया, तहसील तत्कालीन आमेर हाल चौमू, जिला जयपुर राज.।

3. (मृतक दौराने दावा) कन्हैयालाल पुत्र त्रिलोक जाति ब्राह्मण खण्डेलवाल निवासी ग्राम परमानपुरा तहसील विराटनगर (बैराठ) जिला जयपुर।

3/1. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल
3/2. गुलजारी पुत्र कन्हैयालाल
3/3. शांति पत्नी रामशरण जी पुत्री कन्हैयालाल
3/4. सीता पत्नी रामजीलाल पुत्री कन्हैयालाल

समस्त जाति ब्राह्मण खण्डेलवाल निवासी ग्राम परमानपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार तथा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी खसरा नम्बर 1523 व 1529 स्थित ग्राम तिगरिया तहसील तत्कालीन आमेर हाल चौमू, जिला जयपुर।

निर्णय

निर्णय दिनांक :–30.10.2019

वादीयागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1523 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा तथा 1529 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा जिनके नये खसरा नम्बर 3747 रकबा 0.59 है0, 3748 रकबा 0.01 है0, 3749 रकबा 0.56 है0 तथा 3781 रकबा 0.74 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर बने है, स्थित ग्राम तिगरिया तहसील तत्कालीन आमेर हाल चौमू, जिला जयपुर के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादीया नम्बर 1 के स्वर्गीय पति व वादीया नम्बर 2 व 3 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता श्री शिवसहायपुरी थे। जिनका स्वर्गवास 11 वर्ष पूर्व हो चुका है। वाद हाजा में यही आराजीयात विवादग्रस्त है। उक्त मृतक काबिज खातेदार श्री शिवसहाय के वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ही केवल मात्र उत्तराधिकारी है तथा उनकी सम्पति पर काबिज है। आराजीयात वर्णित वाद पत्र मद नम्बर 1 के वादीया नम्बर 1

Scanned by CamScanner

के स्वर्गीय पति, वादीया नम्बर 2 व 3 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा काश्तकार काश्त व प्राकृतिक उपज का उपयोग व उपभोग उठाते चले आ रहे थे। वादीगण भी उनको काश्त में सहयोग करती थी, उक्त श्री शिवसहाय की मृत्यु के पश्चात बाई आपरेशन ऑफ लॉ वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उक्त आराजीयात वर्णित मद नम्बर 1 वाद पत्र के बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्त हो गये है। उक्त मृतक खातेदार श्री शिवसहायपुरी की मृत्यु के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को उक्त आराजीयात का मनबट कर काश्तकार काश्त व प्राकृतिक उपज का उपयोग व उपभोग आज तक बराबर बिना किसी रूकावट के कर रही है। वादीगण उक्त मनबट के अनुसार शुरू से आज तक राजी खसरा नम्बर 1523 के अपने हिस्सों के अनुसार दक्षिणी भाग पर तथा खसरा नम्बर 1529 के पश्चिमी हिस्से पर काबिज है। इस समय भी उनकी इस भाग में काश्त बाजरा, गुवार मिर्च खडी है। शेष भाग पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 काबिज है। वादीगण आराजीयात विवादग्रस्त का अपने हिस्से का लगान सरकारी भी प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा जमा कराती चली आ रही है। प्रतिवादी नम्बर 1 स्वयं काश्त न कर अपने हिस्से की आराजी पर काश्त प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा करवाता है।

आराजीयात विवादग्रस्त पर वादीगण अपने हिस्से के अनुसार काबिज है तथा लगान सरकारी अदा करती है परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साज कर आराजीयात विवादग्रस्त का नामान्तकरण अब दिनांक 30.05.1981 को केवल अपने ही नाम करवा लिया। वादीगण को प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की इस गैर कानूनी कार्यवाही का ज्ञान अभी दिनांक 16.08.1981 हुआ है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को आराजीयात विवादग्रस्त का नामान्तकरण केवल अपने ही नाम कराने का कोई अधिकार नहीं है, उनका आराजीयात विवादग्रस्त में केवल 1/5, व 1/5 हिस्सा मात्र है तथा इस प्रकार वोह प्रत्येक रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 8 बिस्वांसी के खातेदार हो सकते हैं इससे अधिक नहीं।

प्रतिवादी नम्बर 1 प्रतिवादी नम्बर 3 के बहकाने में है तथा वोह निकारण वादीगण से द्वेषता रखता है तथा हानि पहुंचाने की चेष्टा में रहता है। इसी उद्येश्य से प्रतिवादी नम्बर 1 ने गैर कानूनी व बिना अधिकार आराजीयात विवादग्रस्त की आधी खातेदारी का नामान्तकरण अपने नाम करा लिया है। इतना ही नहीं वादीगण को अभी हाल ही में यह भी ज्ञान हुआ है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने आराजीयात विवादग्रस्त में बिना अधिकार बराए बदनियति गलत तौर से अपना आधा हिस्सा बताकर पोसीदा तौर से व नुमायशी विक्रय पत्र बिना कन्सीडरेशन प्राप्त किये व वादीगण के अधिकारों को नष्ट करने के ध्येय से प्रतिवादी नम्बर 3 के हक में दिनांक 05.09.1979 को रजिस्टर्ड करा दिया है। उक्त कथित विक्रय पत्र अधिकारहीन व्यक्ति द्वारा कराया है तथा कब्जा भी प्रतिवादी नम्बर 3 का नहीं है। उक्त विक्रय पत्र नुमायशी है। उक्त कथित विक्रय पत्र से वादीगण के अधिकारों पर कोई कुप्रभाव नहीं पडता है तथा वादीगण उससे किसी भी प्रकार पाबन्द नहीं है। उक्त कथित विक्रय पत्र

Scanned by CamScanner

बमुकाबले वादीगण कलेदम व बेअसर नल एण्ड वोईड एव इनिशियों हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 तथा 3 को उनकी मद नम्बर 4 व 5 में वर्णित गैर कानूनी व अधिकारहीन हरकतों के लिए दिनांक 19.08.1981 को कहा सुना तो उन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया तथा झगडा करने पर आमदा हो गये। इस कारण वाद हाजा पेश करना आवश्यक हो गया। आराजीयात विवादग्रस्त के आधे हिस्से को विक्रय करने का प्रतिवादी नम्बर 1 को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 3 उक्त कथित गैर कानूनी व प्रभावहीन कथित विक्रय पत्र दिनांक 05.09.1979 के आधार पर वादीगण की खडी फसल को नष्ट करने पर उतारू हो रहे हैं तथा वादीगण को जबरिया बिना अधिकार बेदखल करने पर उतारू है। इन अलटरनेटिव अण्डर प्रोटेस्ट तथा अपने उपरोक्त कथन को सुरक्षित रखते हुए वादीगण का यह भी कथन है कि यदि अदालत हाजा किसी भी प्रकार से उक्त विक्रय पत्र दिनांक 05.09. 1979 को सही माने तो भी प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा केवल मात्र 1 बीघा 10 बिस्वा 8 बिस्वांसी होता है। इससे अधिक नहीं तथा इस रकबे पर कानून प्रतिवादी नम्बर 3 को कब्जा बटवारा कराकर ही मिल सकता है। प्रतिवादी नम्बर 3 आराजीयात विवादग्रस्त के किसी हिस्से पर बिना बटवारा कराये व अपना हक हिस्सा निश्चित कराये और वादीगण को बेदखल करने व आराजीयात पर काबिज होने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 3 का आराजीयात विवादग्रस्त में कोई कब्जा नहीं है।

वादीयागण द्वारा वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस्तकरार इस अमर का फरमाया जावे कि वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 आराजीयात खसरा नम्बर 1523 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1529 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 3747 रकबा 0.59 है0, 3748 रकबा 0.01 है0, 3749 रकबा 0.56 है0 तथा 3781 रकबा 0.74 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर स्थित ग्राम तिगरिया तहसील तत्कालीन आमेर हाल चौमू, जिला जयपुर के बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/5 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात के संबंध में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 05.09.1979 बमुकाबले वादीगण नल एण्ड वोइड एब इनिशियों है, समस्त राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार इन्द्राज किया जावे। यह भी घोषणा की जावे कि नामान्करण संख्या 658 दिनांक 30.05.1981 व नामान्तकरण संख्या 661 दिनांक 10.06.1981 कलेदम व बेअसर है। प्रतिवादी नम्बर 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजीयात विवादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत स्वयं या अन्य एजेन्सी द्वारा न करे तथा आराजीयात विवादग्रस्त में स्वयं या अन्य एजेन्सी द्वारा प्रवेश ना करे तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वो वादीगण के आराजीयात विवादग्रस्त में 4 बीघा 10 बिस्वा 24 बिस्वांसी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत स्वयं या अन्य एजेन्सी द्वारा न करें।

Scanned by CamScanner

प्रकरण में राजीनामा पेश किया है कि वादीयागण ने यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नम्बर 3747 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 3748 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3749 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 3781 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर के संबंध में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात के मूल खातेदार स्वर्गीय श्री शिवसहायपुरी थे आज भी खातेदारी उन्हीं के नाम हैं, जिनके वादीयागण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, वादीया संख्या 1 मूल खातेदार स्वर्गीय शिवसहायपुरी की बेवा हैं तथा वादीया संख्या 2 व 3 उनकी जायन्दा पुत्रियां है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके जायन्दा पुत्र है तथा वादग्रस्त आराजीयात में इन सभी का यानि प्रत्येक का 1/5 हिस्सा हैं, प्रत्येक का रकबा 0.38 हैक्टेयर होता है। वादीयागण को वाद में यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त मूल खातेदार स्व0 शिवसहायपुरी की मृत्यु के पश्चात् गुपचुप में कार्यवाहियां कर खातेदारी नामान्तकरण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने केवल मात्र अपने नाम खातेदारी करवा ली जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1 महेशपुरी ने उक्त तस्दीक किये गये नामान्तकरण व खातेदारी का नाजायज लाभ उठाकर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.09.1979 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 स्व0 श्री कन्हैयालाल को विक्रय कर दिया, जिसका नामान्तकरण तस्दीक हो गया इस पर वादीयागण ने उक्त तस्दीक किये गये नामान्तकरणों के खिलाफ अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय के अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 17.12.1985 के द्वारा स्वीकार हुई जिनके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 श्री कन्हैयालाल का स्वर्गवास हो जानो के कारण प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायत 3/4 ने मान्य न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 20.11.1990 को खारिज फरमा दी गई। दौराने दावा वादीया संख्या 1 श्रीमती गुलाब देवी का स्वर्गवास हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजीयात में उसका हिस्सा 1/5 रकबा 0.38 हैक्टेयर के वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गये जिसके अनुसार वादीया संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 0.4750 हैक्टेयर का हिस्सा निहित है। उपरोक्त शीर्षकीय वाद में लोक अदालत की भावना से एवं ग्राम के मुखिया व्यक्तियों के समझाने से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण एवं वादीयागण के पडौसी काश्तकार होने से उनके मध्य अच्छे संबंध रहे इस कारण वादीयागण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा निम्न प्रकार हो गया है कि वादीयागण का वाद इस प्रकार डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात के वादीगण संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक का बहिस्सा रकबा 0.4750 हैक्टेयर के तथा प्रतिवादी संख्या 1 का बहिस्सा 0.4750 हैक्टेयर में से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3781 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.37 हैक्टेयर के प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायात 3/4 पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.09.1979 की पूर्ण सन्तुष्टी में खातेदार हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 महेशपुरी का शेष हिस्सा रकबा 0.1050

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है। खर्चा वाद पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे। प्रस्तुत वाद के पक्षकारान् ने प्रस्तुत वाद में दिनांक 28.08.2019 का राजीनामा प्रस्तुत किया था उसको और अधिक स्पष्ट करने की गरज से यह राजीनामा प्रस्तुत है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का व प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.10.2019 का अवलोकन किया वादीयागण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने पति/पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 महेशपुरी, प्रतिवादी संख्या 2 भगवानपुरी के नाम खुले विरासत नामान्तकरण व उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के हक में किये गये विक्रय पत्र को कलेदम बेअसर करवाने के अनुतोष चाहा गया है एवं साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/5 भी माना गया है। वादीया संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारीसान रिकार्ड पर आ चुके है। वादीया संख्या 1 के पति व वादीया संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वादीया संख्या 1 गुलाब देवी जो वादीया संख्या 2, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता थी। मृतक गुलाब देवी का हिस्सा भी वादीया संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में निहित हो गया है। चूंकि विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 महेशपुरी द्वारा ही करवाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 महेशपुरी द्वारा विवादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा 1/2 का करवाया गया है। जबकि उक्त वादग्रस्त में उसका हिस्सा 1/5 का ही उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् हक अधिकारी था। प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.10.2019 भी उसका 1/5 एक हिस्सा मानते हुए पेश किया गया है। मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक राजीनामा दिनांक 23.10.2019 के अनुसार वादीयागण का वाद इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के वादीयागण संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक का बहिस्सा रकबा 0.4750 हैक्टेयर के तथा प्रतिवादी संख्या 1 का बहिस्सा 0.4750 हैक्टेयर में से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3781 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.37 हैक्टेयर के प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायात 3/4 पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.09.1979 की पूर्ण संतुष्टी में खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 1 महेशपुरी का शेष हिस्सा रकबा 0.1050 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.19 14:07:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: